



Neutral Citation No. - 2026:AHC:56912

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 1544 सन् 2026

प्रबंधन समिति, श्री विजय राघव संस्कृत महाविद्यालय

...याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

...प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता :

कुशमोंदेया शाही, तनुज शाही

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता :

सी.एस.सी., शेष कुमार श्रीवास्तव

साथ में:

1. रिट ए संख्या 1299 सन् 2026:

प्रबंधन समिति, आदर्श संस्कृत महाविद्यालय

बनाम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

2. रिट ए संख्या 2285 सन् 2026:

प्रबंधन समिति, श्री वेद भवन महाविद्यालय श्रृंगेरीमठ और एक अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

3. रिट ए संख्या 1212 सन् 2026:

प्रबंधन समिति, पाणिनी संस्कृत विद्यापीठ

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

4. रिट ए संख्या 3517 सन् 2026:

प्रबंधन समिति, श्री भवनंद संस्कृत महाविद्यालय

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय संख्या - 32

माननीय न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी,

1. सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. इस न्यायालय ने दिनांक 04.02.2026 को रिट ए संख्या 1544/2026 में निम्नलिखित आदेश पारित किया:-

- "1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री कुश्मोंडेया शाही, प्रत्यर्थी-विश्वविद्यालय के अधिवक्ता श्री शेष कुमार श्रीवास्तव और राज्य-प्रत्यर्थीगण के विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री आर.पी. दुबे को सुना गया।
2. यह प्रकरण वाराणसी स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से संबंध विभिन्न कॉलेजों द्वारा प्रधानाचार्य, व्याख्याता और शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शुरू की गई प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें यह आवश्यकता है कि विश्वविद्यालय चयन समिति के गठन के लिए एक विषय विशेषज्ञ की सिफारिश करेगा।
3. वर्तमान याचिका में चयन प्रक्रिया भी शुरू की गई है और विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति की प्रतीक्षा की जा रही है, हालांकि, आक्षेपित आदेश के माध्यम से ऐसी नियुक्तियों की आगे की कार्यवाही, जहां अभी तक कोई विषय विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है, राज्य से निर्देशों के अधीन स्थगित कर दी गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले पर पहले ही इस न्यायालय का ध्यान दिया जा चुका है और वर्तमान में राज्य से किसी निर्देश की आवश्यकता नहीं है क्योंकि विश्वविद्यालय ने स्वयं 26.06.2025 के पत्र द्वारा राज्य को अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में वे प्रक्रिया में किसी संशोधन पर विचार नहीं कर रहे हैं।
 5. विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि राज्य उचित निर्णय लेगा ताकि आक्षेपित आदेश द्वारा स्थगित की गई चयन प्रक्रिया, यदि आवश्यक हो तो स्पष्टीकरण के अधीन, जारी रह सके और इसके लिए उन्होंने दो सप्ताह का समय मांगा है।
 6. इस मामले को 25 फरवरी, 2026 को दोपहर 12.00 बजे सूचीबद्ध किया जाए।
 7. राज्य अगली सुनवाई की तिथि से पहले अनुपालन शपथपत्र दाखिल करेगा।
3. आक्षेपित आदेशों द्वारा, विश्वविद्यालय ने राज्य से निर्देश प्राप्त होने की प्रतीक्षा में विषय विशेषज्ञ के नामांकन के लिए चयन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।
 4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता को आज तक कोई विशिष्ट निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।
 5. उपरोक्त परिस्थितियों में, यदि राज्य द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय को कानून के अनुसार किसी अन्य तरीके से कार्य करने के लिए कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिए जाते हैं, तो विश्वविद्यालय विषय विशेषज्ञ को नामित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. यदि संबंधित विश्वविद्यालय को इसके विपरीत कोई निर्देश दिए जाते हैं, तो उनकी सूचना संबंधित याचिकाकर्ता-कॉलेजों को दी जाएगी।

7. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिकाओं का निस्तारण किया जाता है।

19 मार्च, 2026

एन. सिन्हा

(न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।